

कोड संख्या

--	--

पञ्चावली संख्या

--	--	--	--

संदर्भ

--	--	--

पंजीकृत-ड्राफ्ट द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा) गौतमबुद्धनगर

(मानचित्र-स्वीकृति पत्र)

पत्र सं० नौएडा/मं० प्र०/बी० पी०/बी० पी०/३३८

450

18-4-01

सेवा में,

धीमाली/बी.जे.

M/s K.B.H. Auto Mt. Ltd.
Mr. Harpreet Singh
W-54C Sector XI
Noida

आपको प्रार्थना पत्र दिनांक 23/03/01 को संदर्भ में आपको प्रस्तुतित

अवन निर्माण की पत्रावली सं०

W-54C

XI

23/03/01

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से 23/03/01 तक वैध है।

2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से संबंधित किसी भी शारदात्मक विकास जैसे (नगर पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वायत्त किसी प्रकार से भी प्रभावित (एम्प्लोयड) नहीं माना जाएगा।

3. अवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है कोवल उसी प्रयोग में लाया जाएगा।

4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यवसाय माना जाएगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।

5. दरवाजे व सिद्धिकियाँ इस तरह से लगाये जायें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाने (प्रोजेक्ट) न हो।

6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जाएगा।

7. आवादी द्वारा अवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर आवागमन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।

8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के रेफरेंसिफिकेशन नौएडा अवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा। आवादी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का अवन प्रत्येक विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही शुरू करने अथवा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

9. आवादी भोजेनाडन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करावेगा अथवा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई देय अथवा स्टोप नहीं लगाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।